मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

59, नर्मदा भवन, सी—ब्लॉक, द्वितीय तल,
अरेरा हिल्स, जेल रोड, भोपाल (म.प्र.)

क्र. 3761 /NREGS-MP/Tech./2008

दिनांक 7 / 6 /2008

प्रति,

1. कलेक्टर / जिला कार्यक्रम समन्वयक,
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत / अति. जिला कार्यकम समन्वयक,
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत / कार्यकम अधिकारी

जिला — बड़वानी, बालाघाट, बैतूल, छतरपुर, धार, झाबुआ, खरगौन, खण्डवा, मंडला, सतना, सीधी,सिवनी, शहडोल, श्योपुर, शिवपुरी, डिण्डौरी, टीकमगढ़, उमरिया, छिंदवाड़ा, दतिया, हरदा, देवास, कटनी, पन्ना, दमोह, रीवा, गुना, अशोकनगर, बुरहानपुर, अनूपपुर, राजगढ, शाजापुर, रायसेन, सीहोर, भोपाल, इन्दौर, जबलपुर, ग्वालियर, मुरैना, भिण्ड, सागर, उज्जैन, मंदसौर, नीमच, रतलाम, विदिशा, नरसिंहपुर एवं होशंगाबाद (मध्य प्रदेश) (48 जिले)

विषय: NREGS अंतर्गत संचालित कार्यों को वर्षाकाल के पूर्व सुरक्षित स्थिति में लाने बाबत्।

संदर्भ: कार्यालयीन पत्र क्रमांक 3504 / NREGS M.P. / Tech / 2008 दिनांक 14.05.08

संदर्भित पत्र द्वारा राष्ट्रीय रोजगार ग्रामीण योजना के अंतर्गत किए जा रहें कार्यों को वर्षा ऋतु के पूर्व पूर्ण करने या सुरक्षित स्थिति में लाने संबंधी निर्देश दिए गए हैं, ताकि वह वर्षा से क्षतिग्रस्त न हो।

योजना अन्तर्गत संचालित कपिल धारा उपयोजना के तहत वृहद पैमाने पर कूप निर्माण कार्य स्वीकृत कर कराये जा रहे है। उक्त निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में सभी प्रगतिरत कूपों के निरीक्षण का कार्य तत्काल किया जाकर यह सुनिश्चित किया जावे कि वर्षा ऋतु से पूर्व कूप निर्माण का कार्य पूर्ण कर लिया जाये या इस स्तर तक पहुंचाया जावे कि वर्षा काल में मिट्टी के धसकने से कूप क्षतिग्रस्त न हों। जहां कहीं धसकन वाली मिट्टी में कूप खनन का कार्य किया गया हैं वहां कूप बंधाई का कार्य वर्षा पूर्व करने हेतु सर्वोच्च प्राथमिकता दी जावे।

(रश्मि अरूण शमी)
परियोजना समन्वयक
म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद भोपाल (म.प्र.)

पृ.क्र. 3762 /NREGS-MP/Tech./2008

दिनांक 7 / 6 /2003

प्रतिलिपि:—

संभागायुक्त, संभाग .... की ओर सूचनार्थ।

(रश्मि अरूण शमी)
परियोजना समन्वयक
म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद भोपाल (म.प्र.)